

राष्ट्रीय लोक अदालत-2024

न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19(2) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के आदेश क्रमांक 75 दिनांक 23.09.2024 द्वारा आयोजित)

प्रार्थी/वादी/परिवादी - चिमाराम

अप्रार्थी/प्रतिवादी/उत्तरदाता - लच्छाराम व अन्य

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

प्रकरण संख्या - 45/2024

उपस्थिति :-

1. श्री विक्रमसिंह, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर - अध्यक्ष
2. श्री वीरमाराम, उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर - सदस्य


अधिनिर्णय

दिनांक : 28.09.2024


प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारान ने प्रकरण में समझौता/राजीनामा/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निर्वन्धनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है -

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की सहमति एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विवादित आराजी के विभाजन की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करें।

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।




प्रार्थी/वादी/परिवादी



(चिमाराम)

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
सदस्य

सदस्य
लोक अदालत



अप्रार्थी/प्रतिवादी/उत्तरदाता

(विक्रमसिंह)

न्यायाधीश

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर
अध्यक्ष

अध्यक्ष
लोक अदालत

